

# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारी:— रामचन्द्र, आर०ए०एस०)

अपील संख्या:—528/2025/223 आर.टी.एक्ट (2025/528)

1. महेन्द्र सिंह पुत्र स्व० श्री रतन सिंह, जाति रावत, निवासी खानपुरा तहसील व जिला अजमेर।

अपीलांत

बनाम

1. श्री भगवान पुत्र स्व० श्री चन्दीराम जाति सिन्धी
2. रमेश पुत्र स्व० श्री चन्दीराम जाति सिन्धी
3. श्रीमती गोपी पुत्री स्व० श्री चन्दीराम पत्नी स्व० श्री तेजपाल
4. सुश्री इन्द्रा पुत्री स्व० श्री चन्दीराम
5. श्रीमती रुक्मणी पुत्री स्व० श्री चन्दीराम पत्नी चन्दूलाल
6. श्रीमती लक्ष्मी पुत्री स्व० श्री चन्दीराम पत्नी श्री खुशालदास
7. श्रीमती राजकुमारी पुत्री स्व० श्री चन्दीराम पत्नी श्री सुरेश समस्त जाति सिन्धी निवासीगण एम-73बी, रेम्बुल रोड, अजमेर तहसील व जिला अजमेर।
8. श्रीमती जडाव देवी पत्नी स्व० श्री रतनसिंह (मृतक)
9. श्रीमती कला पुत्री स्व० श्री रतन सिंह पत्नी श्री बाबु सिंह
10. श्रीमती नौरती पुत्री स्व० श्री रतन सिंह पत्नी गोपाल सिंह
11. श्रीमती पानी देवी पुत्री स्व० श्री रतन सिंह पत्नी मदन सिंह
12. श्रीमती लाली देवी पुत्री स्व० श्री रतन सिंह पत्नी कैलाश चन्द
13. श्रीमती बसन्ती पुत्री स्व० श्री रतनसिंह पत्नी श्री धरती राज समस्त जाति रावत निवासीगण खानपुरा तहसील व जिला अजमेर।
14. मल्ला सिंह पुत्र स्व० श्री भैरु सिंह जाति रावत
15. श्रीमती राधा देवी पत्नी स्व० श्री मोहन सिंह जाति रावत
16. कैलाश सिंह पुत्र स्व० श्री मोहन सिंह जाति रावत
17. पांचू सिंह पुत्र स्व० श्री मोहन सिंह जाति रावत
18. रामकरण पुत्र स्व० श्री मोहन सिंह जाति रावत
19. पृथ्वीराज सिंह पुत्र स्व० श्री मोहन सिंह जाति रावत जरिए वारिसान  
19/1 श्रीमती मीना देवी पत्नी श्री पृथ्वी सिंह  
19/2 मोहित पुत्र स्व० श्री पृथ्वी सिंह  
19/3 रोहित पुत्र स्व० श्री पृथ्वी सिंह
20. ज्ञान सिंह पुत्र स्व० श्री मोहन सिंह जाति रावत
21. गणपत सिंह पुत्र स्व० श्री मोहन सिंह जाति रावत समस्त जाति रावत निवासीगण खानपुरा तहसील व जिला अजमेर।
22. श्रवण सिंह पुत्र स्व० श्री भैरु सिंह जाति रावत समस्त जाति रावत निवासीगण खानपुरा तहसील व जिला अजमेर।
23. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार अजमेर।
24. सेटलमेंट कमिश्नर पुनर्वास एवं पदेन कलक्टर अजमेर जिला अजमेर।

रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरुद्ध निर्णय दिनांक 18.07.2025 न्यायालय सहायक कलेक्टर व उपखण्ड अधिकारी, अजमेर राजस्व वाद संख्या 82/2003

## उपस्थित:-

1. श्री अभिषेक शर्मा अभिभाषक अपीलांत
2. श्री एन0के0जैन अभिभाषक रेस्पोंडेंट संख्या 1 व 2
3. श्री के0डी0 खान अभिभाषक रेस्पोंडेंट संख्या 3 से 7
4. श्री महेन्द्र सिंह चौहान अभिभाषक रेस्पोंडेंट संख्या 9 से 22
5. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोंडेंट संख्या 23, 24

## निर्णय

दिनांक:-05.05.2026

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर व उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 82/2003 में पारित निर्णय दिनांक 18.07.2025 के विरुद्ध यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि हाल प्रत्यर्थी संख्या 1 लगायत 7 के पूर्वज स्व0 श्री चंदीराम ने एक वाद अंतर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। वाद प्रस्तुत होने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण ने जवाब प्रस्तुत कर व उपस्थित होकर वादपत्र में अंकित कथनों से इंकार किया गया। दावे व जवाब दावे के आधार पर कुल 5 तनकीयात कायम की गई वादी के द्वारा अपने वादपत्र के समर्थन में दस्तावेजात प्रस्तुत किए गए तथा प्रतिवादी ने अपने जवाब के समर्थन में प्रदर्श ए 01 लगायत ए 47 प्रस्तुत किए गए। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में उभयपक्षों की बहस सुनने के पश्चात वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को स्वीकार किए जाने के आदेश पारित किए गए। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर व उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 82/2003 में पारित निर्णय दिनांक 18.07.2025 से असंतुष्ट होकर अपीलांत ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।
3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।
4. विद्वान अभिभाषक अपीलांत ने दौराने अपील बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने मियाद के बाबत कोई तनकी कायम नहीं की क्यों कि वादी के कथनानुसार कलेक्टर पुनर्वास द्वारा दिनांक 15.10.1990 को उक्त भूमि आवंटित की गई थी तब प्रतिवादीगण उक्त भूमि पर काबिज थे तथा वादी के द्वारा वाद दिनांक 09.12.2003 अर्थात् लगभग 13 वर्ष बाद प्रस्तुत किए गया है ऐसे में वाद मियाद बाधित होने के कारण मियाद में नहीं था जिसका अंकन प्रतिवादी ने अपने जवाब के अतिरिक्त कथन के पैरा संख्या 05 में किया है तथा मूल जवाब के पैरा संख्या 08 में भी किया है परंतु इस बारे में किसी प्रकार का कोई विवेचन अधीनस्थ न्यायालय ने नहीं किया है इस आधार पर वादी का वाद खारिज किए जाने योग्य है तथा अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 18.07.2025 अपास्त किए जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण तथ्य पर

गौर नहीं किया कि खसरा संख्या 1078 व 1080 भीम खां गुलाब बक्श, मौला बक्श पुत्रगण आसीम खां, समसु खां पुत्र दीन मोहम्मद के नाम पर दर्ज थे व लाल मोहम्मद पुत्र वजीर, फूल खां पुत्र मुराद खां ने उक्त भूमि को प्रतिवादी हाल अपीलाट के दादा भैरू सिंह को बजरिये पंजीकृत बेनामा दिनांक 19.06.1962 से विक्रय कर कब्जा संभला दिया था। इसी प्रकार खसरा संख्या 1011 जो कि सुल्तान खां व अन्य की खातेदारी में दर्ज था उसे भी अपीलाट के दादा ने सुल्तान खां से दिनांक 25.09.1971 को क्रय कर कब्जा प्राप्त कर लिया था। उक्त भूमि सुल्तान खां को उसके क्लेम में दिनांक 31.07.1958 को दी गई थी। इस प्रकार खसरा संख्या 1028, 1029, 998, 999, 1001 व 1002 का खातेदार-काश्तकार खाबूमल जीवनदान को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके थे। जिस भूमि को दिनांक 18.04.1962 को प्रतिवादी उत्तरदाता के पक्ष में बेचान कर दिया गया इसलिए वादी के द्वारा जो तथ्य वाद में बताए गए थे वे पूर्णतः झूठे व असत्य थे इस प्रकार वादी अपने वाद को सिद्ध करने में पूर्णतः असफल रहा है। इस आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 18.07.2025 काबिल निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस गहत्वपूर्ण तथ्य पर गौर नहीं किया कि ना तो प्रतिवादी ना ही प्रतिवादी के विक्रेता कभी पाकिस्तान गए। वादग्रस्त आराजी पर कब्जा पहले प्रतिवादी के विक्रेतागण का था तथा विक्रयपत्र निष्पादन के पश्चात कब्जा प्रतिवादीगण का रहा। इस प्रकार उक्त भूमि को कभी भी कस्टोडियन की भूमि नहीं माना जा सकता है। प्रतिवादी ने कब्जे की ताईद में प्रदर्श ए02 से प्रदर्श ए10 प्रस्तुत किए हैं जिससे यह पूर्ण रूप से सिद्ध है कि वादग्रस्त संपत्ति पर पहले प्रतिवादी के विक्रेतागण बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज थे तथा विक्रयपत्र निष्पादन के पश्चात से प्रतिवादीगण काबिज काश्त चले आ रहे हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण विधिक स्थिति पर गौर नहीं किया कि आवंटन आदेश को चीफ सेटलमेंट कमीशनर के न्यायालय में चुनौती दे रखी है ऐसी स्थिति में जो आवंटन है उसको अंतिम नहीं माना जा सकता है परंतु फिर भी उक्त आवंटन आदेश को अंतिम मानते हुए तथा बिना किसी चुनौती का मानते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने वादी का वाद डिक्री करने में घोर कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रदर्श ए 45 जो कि कस्टोडियन विभाग का आदेश है उस आदेश का गलत रूप से विवेचन तनकी संख्या 01 में निर्णय में किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने यह माना है कि सुल्तान खां वल्द नूरु खां को उक्त भूमि विक्रय करने का कोई भी विधिक अधिकार प्राप्त नहीं होते है इस कारण प्रदर्श ए 45 से प्रतिवादी को कोई हक-अधिकार प्राप्त नहीं होते है इसके अतिरिक्त प्रदर्श ए 47 इकरारनामें को साक्ष्य में पढ़े जाने योग्य नहीं माना। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्यों के विपरित जाकर जो निर्णय व डिक्री दिनांक 18.07.2025 पारित किया है वह काबिल निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने अति सूक्ष्म रूप से न्यायिक प्रावधानों के विपरित जाकर वादी के हक में जारी की गई सनद की शर्तों को अनदेखा कर रिकॉर्ड पर उपलब्ध दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्यों के विपरित न्यायिक मस्तिष्क का उपयोग किए बगैर जो निर्णय व डिक्री दिनांक 18.07.2025 पारित किया है काबिल निरस्तनीय है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलाट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर व उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 82/2003 में पारित निर्णय दिनांक 18.07.2025 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें। अभिभाषक अपीलाट ने अपने समर्थन में जमाबंदी संवत 2020-2023, जमाबंदी संवत 2020-2023, सिविल अपील नम्बर 3680 ऑफ 2022(एस0सी),

सिविल अपील नम्बर 8050-8051-2022(एस0सी0), आरबीजे 2019 पेज 698, आरबीजे 1999 पेज 36 प्रस्तुत किए हैं।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि ग्राम खानपुरा तहसील व जिला अजमेर स्थित भूमि चौसाला खसरा नम्बर 1079 रकबा 01-00-00 एवं 1078 रकबा 02-04-00 एवं 1080 रकबा 01-00-00 के वर्किंग खसरा नम्बर 1101 रकबा 04-14-00 इसी प्रकार चौसाला खसरा नम्बर 1081 रकबा 00-10-10 के वर्किंग खसरा नम्बर 1102 रकबा 00-10-10 चौसाला खसरा नम्बर 1083 रकबा 01-00-00 के वर्किंग खसरा नम्बर 1104 रकबा 01-00-00 चौसाला खसरा नम्बर 1028 रकबा 00-11-00 के वर्किंग खसरा नम्बर 1054 रकबा 00-11-00, चौसाला खसरा नम्बर 1029 रकबा 00-19-0 के वर्किंग खसरा नम्बर 1055 रकबा 00-19-00, चौसाला खसरा नम्बर 1011 रकबा 01-04-10 के वर्किंग खसरा नम्बर 1034 रकबा 01-04-00 चौसाला खसरा नम्बर 999 रकबा 00-13-10 एवं चौसाला खसरा नम्बर 998 रकबा 00-15-10 दोनों के वर्किंग खसरा नम्बर 1024 रकबा 01-08-10, इसी प्रकार चौसाला खसरा नम्बर 1001 रकबा 01-06-00 एवं चौसाला खसरा नम्बर 1002 रकबा 02-07-00 दोनों के वर्किंग खसरा नम्बर 1026 रकबा 03-13-00 बने है, उपरोक्त भूमि भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के तहत एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इवेक्यू प्रोपर्टी एक्ट के तहत निष्क्रान्त सम्पत्ति घोषित कर दी गई है जिसकी अधिसूचना दिनांक 11-02-1949 को जारी की गई कोई एतराज नहीं करने पर केन्द्र सरकार ने दिनांक 02-01-1956 को उपरोक्त अधिनियम की धारा 07 एवं 28 के तहत उपरोक्त भूमि सभी प्रभारों से मुक्त होकर केन्द्र सरकार में निहित हो गई। उपरोक्त भूमि कस्टोडियन भूमि हो जाने के कारण प्रफोर्मा प्रतिवादी संख्या 06 ने उक्त भूमि अपने आदेश क्रमांक एफ 35 (10) (31) पुनर्वास-19-214-16 दिनांक 15-10-1990 को वादी चन्दीराम को आवंटित कर दी गई व आवंटन की पालना में प्रफोर्मा प्रतिवादी संख्या 06 द्वारा दिनांक 16-11-1991 को वादी चन्दीराम के पक्ष में सनद भी जारी कर दी। आवंटन व सनद की पालना में तहसीलदार अजमेर द्वारा वादी चन्दीराम के पक्ष में नामान्तरण संख्या 28 दिनांक 09-03-1992 को स्वीकृत कर राजस्व अभिलेख वर्किंग जमाबन्दी में खातेदार दर्ज कर दिया गया। दिनांक 28-09-2003 को प्रतिवादीगण उपरोक्त भूमि को खुर्द बुर्द कर अन्य व्यक्ति को विक्रय आदि करने पर उत्तारू हो गये जिस पर वादी द्वारा प्रतिवादीगण को मना भी किया तथा अवैद्य कब्जा अतिक्रमण को हटाने का निवेदन भी किया परन्तु प्रतिवादीगण नहीं माने इस कारण यह दावा प्रतिवादीगण को वादग्रस्त भूमि से बेदखल कर वादी को कब्जा दिलवाने हेतु प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधिसम्मत है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होने से अपीलांत द्वारा प्रस्तुत अपील को इसी स्तर पर खारिज किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावे। अभिभाषक रेस्पोडेंट ने अपने समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आरबीजे (12) 2005, आरएलडब्ल्यू 2011(1) आर0जे0 506(एस0सी0), ए0आई0आर 1968 एस0सी0 169 (वी0 55 सी0 43), 2019(2) आरआरटी 845, आरआरडी 2002(1), आरआरडी 14.06.2018, 2018(2) आरआरटी 906, आरएलडब्ल्यू 2011 (1) आर0जे0 506(एस0सी0), आरआरडी 1966 पेज 105, आरआरडी 1983 पेज 416, 2014(2) आरआरटी 1374, 2024 आरबीजे 133, आरएलडब्ल्यू 2018(2) रेवे0, आरएलडब्ल्यू 2003(1) आरजे प्रस्तुत किए हैं।

6. हमने उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। बाद अवलोकन हमने पाया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी/रेस्पोंडेंट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद पत्र अंतर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दावे एवं जवाब दावे के आधार पर प्रकरण में तनकीयात कायम की जाकर साक्ष्य ग्रहण कर उभयपक्षों द्वारा की गई बहस के आधार पर प्रकरण में तनकीवार निर्णय पारित करते हुए वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को स्वीकार किया जाकर प्रकरण में दिनांक 18.07.2025 को निर्णय पारित किया गया। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांत द्वारा हाजा न्यायालय के समक्ष प्रकरण में अपील प्रस्तुत की गई है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण का निस्तारण तनकीवार किया गया। अतः हाजा न्यायालय द्वारा उक्त तनकीयों का अद्योपांत अवलोकन किया जाकर तनकीवार निर्णय करना उचित समझते हैं।

**तनकी संख्या 1 – आया विवादित भूमि के वादी चन्दीराम को कलक्टर पुनर्वास द्वारा दिनांक 15.10.1990 को आवंटित की गई एवं दिनांक 16.11.1991 को सनद जारी की गई तत्पश्चात पंजीबद्ध भी करवाई गई। (जिम्मे वादी)**

विवादित आराजीयात ग्राम खानपुरा तहसील व जिला अजमेर स्थित भूमि चौसाला खसरा नम्बर 1079, 1078, 1080 रकबा के वर्किंग खसरा नम्बर 1101 इसी प्रकार चौसाला खसरा नम्बर 1081 के वर्किंग खसरा नम्बर 1102 चौसाला खसरा नम्बर 1083 के वर्किंग खसरा नम्बर 1104 चौसाला खसरा नम्बर 1028 के वर्किंग खसरा नम्बर 1054 चौसाला खसरा नम्बर 1029 रकबा वर्किंग खसरा नम्बर 1055 चौसाला खसरा नम्बर 1011 के वर्किंग खसरा नम्बर 1034 चौसाला खसरा नम्बर 999 एवं खसरा नम्बर 998 दोनों के वर्किंग खसरा नम्बर 1024, इसी प्रकार चौसाला खसरा नम्बर 1001 एवं चौसाला खसरा नम्बर 1002 दोनों के वर्किंग खसरा नम्बर 1026 बने हैं, उपरोक्त भूमि भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के तहत एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इवेक्यू प्रोपर्टी एक्ट के तहत निष्कान्त सम्पत्ति घोषित कर दी गई। जिसकी अधिसूचना दिनांक 11-02-1949 को जारी की गई। केन्द्र सरकार ने दिनांक 02-01-1956 को उपरोक्त अधिनियम की धारा 07 एवं 28 के तहत उपरोक्त भूमि केन्द्र सरकार में निहित हो गई। उपरोक्त भूमि कस्टोडियन भूमि हो जाने के कारण रेस्पोंडेंट संख्या 24 ने उक्त भूमि अपने आदेश क्रमांक एफ 35 (10) (31) पुनर्वास-19-214-16 दिनांक 15-10-1990 को वादी चन्दीराम को आवंटित कर दी गई व आवंटन की पालना में दिनांक 16-11-1991 को वादी चन्दीराम के पक्ष में सनद भी जारी कर दी। आवंटन व सनद की पालना में तहसीलदार अजमेर द्वारा वादी चन्दीराम के पक्ष में नामान्तरण संख्या 28 दिनांक 09-03-1992 को स्वीकृत कर राजस्व अभिलेख वर्किंग जमाबन्दी में खातेदार दर्ज कर दिया गया।

वादी/रेस्पोंडेंट के पक्ष में जारी सनद दिनांक 16.11.1991 पंजीबद्ध भी हुई है। वादी के पक्ष में जारी आवंटन आदेश व सनद किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त कर दी गई हो या वर्तमान में प्रभाव में नहीं है ऐसा कोई भी दस्तावेजात अपीलांत द्वारा ना तो बहस में बताया गया है ना ही इस संबंध में कोई दस्तावेजात प्रस्तुत किए गए हैं। केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी गजट नोटिफिकेशन दिनांक 02.01.1956 में स्पष्टतया अंकन है कि No. R-

1/IX4- In pursuance of sub-section (3) of section 7 of the administration of evacuee. property act 1, the additional custodian of the state of ajmer (rural area) is pleased to notify for the general information list of evacuee property specified in the schedule annexure here to, which have vested in him and which were notified as evacuee property under sub-rule (2) read with section (3) of section 7 of the administration of evacuee property act XXXI of 1950 के क्रम में धारा 7 एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एवैक्यू प्रोपर्टी एक्ट के तहत विवादित आराजीयात कस्टोडियन प्रोपर्टी घोषित की है। गजट नोटिफिकेशन में संलग्न सूची में चौसाला खसरा नम्बर 1078, 1079, 1080 पर आसिन खां व दीन मोहम्मद वगैरह के स्थान पर उक्त भूमि कस्टोडियन घोषित की गई इसी प्रकार चौसाला खसरा नम्बर 1083 क्रम संख्या 192 के अनुसार अमरू खां, खाजु खां के स्थान पर कस्टोडियन भूमि घोषित की गई। चौसाला खसरा नम्बर 1011, 1028 एवं 1029 के अनुसार सबदल खां वल्द दूले खां के स्थान पर कस्टोडियन भूमि घोषित की गई। चौसाला खसरा नम्बर 998, 999, 1001 व 1002 क्रम संख्या 237 के अनुसार रहीन खां वल्द करीम खां के स्थान पर महकमा कस्टोडियन प्रोपर्टी घोषित की गई। इस क्रम में वादी के पक्ष में उक्त आराजीयात का आवंटन कर सनद भी जारी की गई है।

अपीलांट द्वारा अपील के माध्यम से यह उज्र भी उठाए गए कि खसरा संख्या 1078 व 1080 भीम खां गुलाब बक्श, मौला बक्श पुत्रगण आसीम खां, समसु खां पुत्र दीन मोहम्मद के नाम पर दर्ज थे व लाल मोहम्मद पुत्र वजीर, फूल खां पुत्र मुराद खां ने उक्त भूमि को प्रतिवादी हाल अपीलांट के दादा भैरू सिंह को बजरिये पंजीकृत बेनामा दिनांक 19.06.1962 से विक्रय कर कब्जा संभला दिया था। इसी प्रकार खसरा संख्या 1011 जो कि सुल्तान खां व अन्य की खातेदारी में दर्ज था उसे भी अपीलांट के दादा ने सुल्तान खां से दिनांक 25.09.1971 को क्रय कर कब्जा प्राप्त कर लिया था। उक्त भूमि सुल्तान खां को उसके क्लेम में दिनांक 31.07.1958 को दी गई थी। इस प्रकार खसरा संख्या 1028, 1029, 998, 999, 1001 व 1002 का खातेदार-काश्तकार खबूमल जीवनदान को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके थे। जिस भूमि को दिनांक 18.04.1962 को प्रतिवादी उत्तरदाता के पक्ष में बेचान कर दिया गया। प्रतिवादी ना ही प्रतिवादी के विक्रेता कभी पाकिस्तान गए। वादग्रस्त आराजी पर कब्जा पहले प्रतिवादी के विक्रेतागण का था तथा विक्रयपत्र निष्पादन के पश्चात कब्जा प्रतिवादीगण का रहा। इस प्रकार उक्त भूमि को कभी भी कस्टोडियन की भूमि नहीं माना जा सकता है।

अपीलांट द्वारा कहे गए कथनों का परीक्षण किए जाने के बाद पाया कि उक्त विवादित आराजीयात को कस्टोडियन विभाग द्वारा कस्टोडियन प्रोपर्टी घोषित की गई। जो कि वादी चन्दीराम को प्रदर्श 1 व 2 के जरिए आवंटन कर प्रदर्श 3 व 4 में सनद जारी की गई। निष्कान्त संपत्ति अधिनियम की धारा 7 के तहत जब संपत्ति निष्कान्त सम्पत्ति घोषित कर दी जाती है तो उक्त संपत्ति केन्द्र सरकार में निहित हो जाती है। पंजीबद्ध विक्रय पत्र दिनांक 18.04.1962 से स्पष्ट है कि विक्रेता खबूमल का नाम खसरा गिरदावरी में अंकित है किन्तु खातेदारी में दर्ज नहीं है अर्थात् अपीलांट द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजात प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट हो सके की खबूमल उक्त आराजीयात का खातेदार था। जब खबूमल उक्त आराजीयात का खातेदार ही नहीं था तो उसे आराजीयात का बैचान

किए जाने का कोई हक अधिकार ही नहीं था, ऐसी स्थिति में किया गया बैचान प्रारम्भ से ही शून्य (नल एण्ड वोर्ड) है।

दिनांक 25.09.1971 को सुल्तान खान वल्द नूर खान द्वारा खसरा नम्बर 1011 व 1033 भैरू पुत्र काना को विक्रय किया गया परंतु उक्त खसरा नम्बर 1011 व 1033 सबदल खां वल्द दुले खां के नाम दर्ज था जो पाकिस्तान चले जाने के कारण गजट नोटिफिकेशन की क्रम संख्या 195 के अनुसार निष्कांत संपत्ति घोषित की गई। सुल्तान खान को किसी भी आधार से आराजीयात का बैचान करने का हक अधिकार ही नहीं था उनके द्वारा किया गया बैचान प्रभावशून्य है। दिनांक 19.06.1962 को लाल खां व फूल खां द्वारा भैरू पुत्र काना के पक्ष में किया गया विक्रय खसरा नम्बर 1078 रकबा 02-14-00 जो कि गजट नोटिफिकेशन के क्रम संख्या 186 के अनुसार खसरा नम्बर 1078 आसीन खां व दीन मोहम्मद के नाम अंकित था। इससे स्पष्ट है कि लाल खां व फूल खां को उक्त आराजीयात के बैचान किए जाने का कोई अधिकार नहीं था अर्थात् वह उक्त खसरा नम्बर 1078 के खातेदार नहीं थे। इसी क्रम में प्रदर्श ए 43, ए 44, ए 46 में वर्णित आराजीयात के विक्रेतागण कभी भी उक्त आराजीयात के खातेदार नहीं रहे हैं। अतः उन्हे आराजीयात को बैचान किए जाने का हक अधिकार ही नहीं था। इस संबंध में हमने आर0एल0डब्लू0 2018 (2) पेज संख्या 991 का ससम्मान अवलोकन किया जिसमें स्पष्टतया अंकन है कि **The sale-deed executed by a shikmi Tenant in favour of plaintiffs is null and void being baseless as that time he was not khatedar of the land.** अर्थात् जो व्यक्ति भूमि का खातेदार नहीं है यदि उसके द्वारा कोई विक्रय पत्र निष्पादित भी किया जाता है तो वह प्रारम्भ से ही शून्य है। RRD 1983 पेज संख्या 1983 में स्पष्ट किया गया है कि **khasra Girdawari- Whether is record of rights- Raj Land Revenue Act, secs. 114, 132 & 1400 Held K.G. not a record of right-1959 RRD 173 (H.C.) (implications of which, considered in 1964 RRD 101) no authority for propostion that K. G. is part of 'record of rights' or its creates any legal right- K.G., prepared only to furnish administrative data.**

आर0एल0डब्लू0 2011 (1) आर0जे0 506 (एस0सी0) में भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि **Administration of Evacuee Property Act, 1950, sec. 7 and Displaced person (Compensation and Rehabilitation) Act, 1954, sec. 12 – Notification issued by deputy custodian and collector declaring the disputed property as an Evacuee Property- Central government acquired the “disputed land” for the rehabilitation of the persons who were displaced during the partition-Held-Notification u/Sec. 7 of the Act 1950 is valid in law, the evacuee property acquired by the Central Government u/Sec. 12 of the Displaced person Act ceases to be evacuee and become the property of the Central Government.**

उक्त न्यायिक नजीरें हस्तगत प्रकरण पर पूर्णतया चस्पा होती है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 1 का निस्तारण पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों अनुरूप ही किया जाकर वादी/रेस्पोंडेंट संख्या 1 के पक्ष में निर्णित की है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

**तनकी संख्या 2— आया विवादित भूमि जरिए नामांतरकरण संख्या 28 दिनांक 09.03.1992 को वादी के नाम खातेदारी दर्ज कर दी गई। (जिम्मे वादी)**

इस संबंध में हमने पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का अवलोकन किया एवं पाया कि गजट नोटिफिकेशन की क्रम संख्या 195 के अनुसार उक्त विवादित आराजीयात को निष्कांत संपत्ति घोषित की गई तथा कलेक्टर पुनर्वास द्वारा दिनांक 15.10.1990 को उक्त भूमि वादीगण/अपीलांत के पूर्वज चन्दीराम को आवंटित की गई थी वादी/रेस्पोंडेंट के पक्ष में जारी सनद जारी की गई तथा उक्त सनद दिनांक 16.11.1991 पंजीबद्ध भी हुई है। वादी के पक्ष में जारी आवंटन आदेश व सनद किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं की गई है केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी गजट नोटिफिकेशन दिनांक 02.01.1956 के क्रम में धारा 7 एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एवेक्यू प्रोपर्टी एक्ट के तहत विवादित आराजीयात कस्टोडियन प्रोपर्टी घोषित की है। इस संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध प्रदर्श संख्या 5 जमाबंदी संवत् 2041 का अवलोकन किया गया। जमाबंदी में किए गए इन्द्राज अनुसार विवादित भूमि कस्टोडियन विभाग के स्थान पर जरिए नामांतरकरण संख्या 28 दिनांक 09.03.1992 को नामांतरकरण स्वीकृत कर वादी/चन्दीराम के नाम खातेदारी में दर्ज की गई उक्त नामांतरकरण के पश्चात वादी/रेस्पोंडेंट उक्त वादग्रस्त आराजीयात को खातेदार हो चुका है। अपीलांत द्वारा इस संदर्भ में ऐसा कोई दस्तावेजात प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह साबित हो सके की उक्त आराजीयात का विधिवत रूप से नामांतरकरण वादी/चन्दीराम के नाम नहीं किया गया हो। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तनकी का निस्तारण पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज/प्रदर्श अनुसार ही किया गया है। जिसमें न्यायालय हाजा को किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता उचित प्रतीत नहीं होती है।

**तनकी संख्या 3— आया वादी चन्दीराम के स्वर्गवास के पश्चात विवादित भूमि के वसीयती वारिस भगवान व रमेश पुत्रगण चन्दीराम वर्तमान जमाबंदी के अनुसार खातेदार दर्ज हैं। (जिम्मे वादी)**

वादी/चन्दीराम द्वारा अपने जीवनकाल में अपनी आराजीयात का विभाजन अपने पुत्रों भगवान व रमेश के पक्ष में किया गया। इस संबंध में हमारे द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध प्रदर्श संख्या 7 का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार विवादित आराजीयात हाल राजस्व जमाबंदी में भगवान व रमेश पुत्रगण चन्दीराम के 1/2—1/2 हिस्से के राजस्व रिकार्ड में खातेदार दर्ज हैं। जो कि प्रदर्श संख्या 6 व 10 मिलान क्षेत्रफल अनुसार खसरा नम्बर 1096 मिन, 1088/1670, 1096 मिन, 1098, 1100/1672, 1099/1673, 1332, 1331, 1329, 1348, 1349, 1335 व 1336 जो कि भगवान व रमेश पुत्र चन्दीराम के नाम दर्ज हैं। अपीलांत द्वारा अपील के माध्यम से इस संबंध में कोई उज्र नहीं उठाया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तनकी का निस्तारण भी पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व दस्तावेजात अनुसार ही किया गया है।

तनकी संख्या 4— आया प्रतिवादीगण द्वारा विवादित भूमि पर अतिचार कर अनाधिकृत कब्जा कर रखा है इस कारण वादी प्रतिवादीगण को विवादित भूमि से बेदखल करवाकर खाली कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है। (जिम्मे वादी)

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183 के तहत बेदखली का वाद वही व्यक्ति न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है जो टिनेन्ट हो। वर्तमान प्रकरण में चंदीराम/वादी को कस्टोडियन विभाग द्वारा दिनांक 16.11.1991 को सनद जारी की गई थी, तथा उसके उपरांत जरिए नामांतरकरण संख्या 28 दिनांक 09.03.1992 को नामांतरकरण स्वीकृत कर राजस्व रिकार्ड में चंदीराम/वादी का नाम दर्ज कर खातेदार घोषित किया गया। इस संबंध में अपीलांत द्वारा कथन किया गया अधीनस्थ न्यायालय ने मियाद के बाबत कोई तनकी कायम नहीं की गई क्यों कि वादी के कथनानुसार कलेक्टर पुनर्वास द्वारा दिनांक 15.10.1990 को उक्त भूमि आवंटित की गई थी तब [प्रतिवादीगण/अपीलांत](#) काबिज थे वादी द्वारा उक्त वाद दिनांक 09.12.2003 अर्थात 13 वर्ष की लंबी अवधि पश्चात प्रस्तुत किया गया। अपीलांत द्वारा यह भी कथन किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मियाद के बिंदु के ऊपर किसी प्रकार की तनकी कायम नहीं की गई है।

अपीलांत द्वारा कहे गए कथनों के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अद्योपांत परीक्षण किया गया तो पाया कि भारत सरकार के गजट नोटिफिकेशन की क्रम संख्या 195 के अनुसार उक्त विवादित आराजीयात को निष्कांत संपत्ति घोषित की गई तथा कलेक्टर पुनर्वास द्वारा दिनांक 15.10.1990 को उक्त भूमि [वादीगण/अपीलांत](#) के पूर्वज चन्दीराम को आवंटित की गई थी वादी/रेस्पोंडेंट के पक्ष में दिनांक 16.11.1991 को सनद जारी की गई तथा दिनांक 12.12.1991 को उक्त सनद को पंजीबद्ध भी किया गया है। उसके उपरांत विधिवत रूप से जरिए नामांतरकरण संख्या 28 दिनांक 09.03.1992 को नामांतरकरण स्वीकृत कर राजस्व रिकार्ड में चंदीराम/वादी का नाम दर्ज कर खातेदार घोषित किया गया अर्थात [वादीगण/रेस्पोंडेंट](#) के पूर्वज चंदीराम को दिनांक 09.03.1992 को वादग्रस्त आराजीयात का रिकॉर्डेड खातेदार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया गया। राजस्व रिकार्ड में [वादीगण/रेस्पोंडेंट](#) चंदीराम का नाम दिनांक 09.03.1992 में अंकित किया गया तथा [वादीगण/रेस्पोंडेंट](#) चंदीराम द्वारा दिनांक 09.12.2003 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष बेदखली हेतु वाद पेश किया गया। अर्थात [वादीगण/रेस्पोंडेंट](#) चंदीराम द्वारा खातेदार दर्ज होने के बाद लगभग 11 वर्ष 9 माह में वाद पेश किया गया है। जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 63 अनुसार कब्जा लेने की निश्चित अवधि 12 वर्ष से अन्दर मियाद प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध में हमने न्यायिक दृष्टांत आर0आर0डी0 1965 पेज 242 का ससम्मान अवलोकन किया जिसमें स्पष्ट किया गया है कि Raj. Tenacny Act, sec 183- Suit can only be filed by a person entitled to admit another as tenant- Proprietor, khatedar or a person with legal title can only sue for ejection of trespasser- Remedy of suit to a person with defective title, not available अर्थात बेदखली का वाद वही व्यक्ति प्रस्तुत कर सकता है जो भूमि का मालिक हो या खातेदार हो या जिसके पास विधिक अधिकार हो, अविधिक अधिकारीता प्राप्त व्यक्ति इस कानून के तहत वाद नहीं ला सकता है।

उक्त न्यायिक नजीर हस्तगत प्रकरण पर पूर्णतया चस्पा होती है क्योंकि [वादीगण/रेस्पोंडेन्ट](#) चंदीराम द्वारा दिनांक 09.03.1992 खातेदार दर्ज होने के उपरांत लगभग 11 वर्ष 9 माह में वाद पेश किया गया है। इन समस्त तथ्यों को देखते हुए वादी/चंदीराम द्वारा प्रस्तुत वाद मियाद की अवधि के अंदर प्रस्तुत किया गया है। जहां तक मियाद के ऊपर तनकी कायम नहीं करना अपीलांट द्वारा बताया गया है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 4 व 5 में मियाद के संदर्भ में विस्तृत विश्लेषण किया गया है तथा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट/प्रतिवादी द्वारा मियाद के संबंध में किसी प्रकार का कोई प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया गया जबकि अपीलांट/प्रतिवादी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आदेश 14 नियम 3 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकते थे। इस संबंध में हमारे द्वारा माननीय राजस्व मण्डल द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांत का अवलोकन किया गया।

### आरएलडब्ल्यू 2003(1)आरजे पेज 526

RAJASTHAN TENANCY ACT, 1955, SEC. 88, 89 and 53 and c.p.c order 14 rule 1 – non framing of issue by trial court- both the parties having knowledge of the pleadings and has produced their witness trial court on the basis of pleadings has given ½ share to the plaintiff being the daughter of deceased non framing of issue regarding whether the plaintiff is daughter of the deceased or not, does not affect the case.

इस तथ्य से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वर्तमान प्रकरण में पक्षकारों के साक्ष्य व शपथ पत्र लिए गए थे व उक्त बिंदु पर यदि विवाद्यक कायम नहीं किया गया तो इससे प्रकरण के गुणावगुण पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके अतिरिक्त सीपीसी में भी यह स्पष्ट किया गया है कि **सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 की धारा 99—: कोई भी डिक्री ऐसी गलती या अनियमितता के कारण जिससे गुणावगुण या अधिकारिता पर प्रभाव नहीं पड़ता है न तो उल्टी जाएगी और न उपान्तरित की जाएगी।**

चंदीराम द्वारा कथन किया गया कि वादी/चंदीराम को कब्जे के संबंध में जानकारी नहीं रही चूंकि आवंटन आदेश के पृष्ठ संख्या 1 में स्पष्ट रूप से अंकित है कि चंदीराम/वादी को क्लेम की एवज में तीन ग्रामों की भूमि रिक्त व कब्जेशुदा भूमि विवादित भूमि व अन्य भूमियों के साथ आवंटित की गई थी। आवंटित भूमि में किसी भी अतिचारी/अतिक्रमी का नाम दर्ज नहीं है। प्रदर्श संख्या 1 व 3 में यह कहीं भी स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है कि किस भूमि पर तत्समय किस अतिक्रमी का कब्जा था किसी भी अतिचारी का नाम दर्ज नहीं है। ऐसे में इस तथ्य से इंकार नहीं किया जा सकता है कि वादी/चंदीराम को कब्जे बाबत कोई जानकारी रही हो। [प्रतिवादीगण/अपीलांट](#) द्वारा भी इस संबंध में कोई ऐसा दस्तावेजात प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह स्पष्ट हो कि वादी को कब्जे संबंधित जानकारी पूर्व में थी। अपीलांट द्वारा कहे गए कथनों की ताईद नहीं होती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तनकी का निस्तारण भी पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों अनुरूप ही किया जाकर तनकी निर्णित की गई है।

तनकी संख्या 5— आया प्रतिवादीगण के द्वारा प्रस्तुत जवाबदावे में ली गई आपत्तियों के अनुसार वादी का वाद निरस्त किए जाने योग्य है।

प्रतिवादीगण द्वारा अपने समर्थन में प्रदर्श संख्या ए 43 से ए 47 प्रस्तुत किया गया है जिसके अनुसार प्रतिवादीगण द्वारा उक्त विवादित आराजीयात को क्रय किया गया है, परंतु उक्त दस्तावेजात से यह बिलकुल स्पष्ट है कि विक्रेतागण को उक्त आराजीयात को बैचान किए जाने का हक अधिकार ही नहीं था। अर्थात् प्रतिवादीगण/अपीलांत द्वारा क्रय की गई आराजीयात पर हक अधिकार प्रारम्भ से ही शून्य है। चूंकि क्रेता द्वारा जब उक्त आराजीयात का बैचान किया गया तत्समय व विवादित आराजीयात के खातेदार ही नहीं थे इसलिए उनके द्वारा किया गया बैचान प्रभावहीन है। प्रतिवादीगण द्वारा अपनी जिरह में डीडब्ल्यू 1 व डीडब्ल्यू 2 के माध्यम से स्वीकार किया है कि उक्त आराजीयात कस्टोडियन आराजीयात रही है। कस्टोडियन भूमि का विक्रेतागण द्वारा प्रतिवादीगण को किया गया बैचान नल एण्ड वाईड की श्रेणी में आता है। अपीलांत उक्त आराजीयात पर एक अतिक्रमी की हैसियत से विद्यमान है। अपीलांत को एडवर्स पजेशन के आधार पर किसी भी प्रकार के हक अधिकार प्रदान नहीं किए जा सकते हैं, अर्थात् अपीलांत न्यायालय के समक्ष किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का हक अधिकारी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तनकी का निस्तारण भी विधि सम्मत रूप से किया गया है।

माननीय राजस्व मण्डल द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अवलोकन किया गया।

आरएलडब्ल्यू 2018(2)रेवे0

**The sale deed executed by shikmi tenant in favour of the plaintiff is null and void being baseless as at that time he was not a khatedar of the land.**

**RBJ (26)2019**

**RAJASTHAN LAND REVENUE ACT 1956- When seller was not having any right over the land then purchaser of the land from the seller cannot get any right over the land and mutation cannot be attested in his name.**

आरएलडब्ल्यू 2008(2) आर0जे0 पेज 1101

प्रतिकूल कब्जे से अपीलार्थी का स्वामित्व—भूमि का क्रय अपीलार्थी द्वारा नहीं किया गया—अपीलार्थी वाद संपत्ति पर अपना स्वत्व साबित करने में विफल रहा—प्रथम अपीलीय न्यायालय एवं उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थी वाद संपत्ति का स्वत्व स्थापित करने में विफल रहा अतः वह स्वामित्व हकदार नहीं— अभिनिर्धारित— प्रतिकूल कब्जे की विधि जो परिसीमा के तहत निष्क्रीयता के आधार पर स्वामी को विस्थापित करता है, वह अतर्कसंगत अतार्किक एवं पूर्णतः अननुपातिक है—कानून से उस व्यक्ति को फायदा नहीं पहुंचना चाहिए जो चोरी छिपे वास्तविक स्वामी की संपत्ति का कब्जा लेता है। अपील खारिज की।

उक्त न्यायिक नजीरों में स्पष्ट किया गया है कि जो व्यक्ति भूमि का स्वामित्व अर्थात् खातेदार नहीं है उसके द्वारा किए गए किसी भी प्रकार के विक्रय को मान्यता नहीं दी जा सकती ऐसे विक्रय प्रारम्भ से ही प्रभावहीन एवं शून्य हैं।

इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सभी अतिक्रमियों/अतिचारीयों के विरुद्ध बेदखली का वाद डिक्री किया गया है किंतु न्यायालय हाजा के समक्ष मात्र एक पक्षकार द्वारा ही अपील प्रस्तुत की है, अतः इस तथ्य से भी इंकार नहीं किया जा सकता है कि बेदखली के निर्णय से समस्त अतिक्रमी/पक्षकार व्यथित अथवा पीडित है। उक्त समस्त तनकीयात वादी/रेस्पोंडेंट्स के पक्ष में दस्तावेजी साक्ष्यों द्वारा पूर्णतया सिद्ध है, अतः अपील खारिज किए जाने योग्य है।

*अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में किसी प्रकार कोई त्रुटि कारित नहीं हुई है, उनके द्वारा किया गया निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों एवं विधिक प्रावधानों के आधार पर किया गया है। जिसमें न्यायालय हाजा द्वारा किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय यथावत रखा जाना न्यायोचित है व अपीलांत द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किए जाने योग्य है।*

7. अतः अपील अपीलांत खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर व उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 82/2003 में पारित निर्णय दिनांक 18.07.2025 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फ़ैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(रामचन्द्र)  
राजस्व अपील प्राधिकारी,  
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 05.05.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामचन्द्र)  
राजस्व अपील प्राधिकारी,  
अजमेर